भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. Tour Programme/8/VC/2018/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi-110003
Dated: 23th, May, 2018

To,

1. प्रमुख सचिव,
जनजातीय ~~विकास~~ कार्य विभाग,
मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय
भोपाल (मध्य प्रदेश)

2. जिला कलेक्टर,
जिला छिंदवाड़ा,
(मध्य प्रदेश)

विषयः सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के आयोग के दल के साथ दिनांक 10–02–2018 से 15–02–2018 तक मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिला का दौरा।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर कथन है कि सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 10–02–2018 से 15–02–2018 तक मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले के दौरे की रिपोर्ट की प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि प्रवास रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें एवं कार्रवाई रिपोर्ट एक महीने के भीतर भिजवाने का कृपा करें।

भवदीय,
(आर के दुबे)
सहायक निदेशक

Copy for information and necessary action to:

1. NIC, NCST uploaded on the web site.

Tel.:011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax: 011-24604689, 011-24624191

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
प्रवास–प्रतिवेदन

-: : TOUR REPORT : : -
-: : DATED 10/02/2018 TO 15/02/2018{ CHHINDWARA ANDNAGPUR (MP&MS) } : : -

1. दौरा करने वाले पदाधिकारियों के नाम	**सुश्री अनुसुईया उइके** **उपाध्यक्ष** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार **श्री जितेन्द्र कुमार सोलंकी** उपाध्यक्ष के सहायक निज सचिव राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार
2. दौरा की तिथि,दिन, दिनाँक, वर्ष	**दिनाँक 10 फरवरी 2018** **से** **15फरवरी 2018 तक**
3. दौरा किये गये स्थान	**नागपुर, छिन्दवाड़ा(महाराष्ट्रएवंमध्यप्रदेश)**
4. मुख्य व्यक्ति / अधिकारीगण संगठनों से मिले	**निम्नानुसार**

1)	महामहिम राज्यपाल मध्यप्रदेश श्रीमती आनन्दी बेन जी पटेल जी।
2)	धर्मगुरू सुश्री ऋतम्बरा जी ।
3)	श्री नन्दकुमार साय, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार
4)	श्री शिवराजसिंह जी चौहान मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश
5)	श्री कमलनाथ, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं सांसद छिन्दवाडा।
6)	श्री गौरीशंकर बिसेन, मंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
7)	श्रीमती माया चिंतामन इवनाते, सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार।
8)	श्री फग्गनसिंह कुलस्ते पूर्व मंत्री एवं जनजाति प्रतिनिधि
9)	श्रीमती संपतिया उइके, सांसद राज्यसभा मंडला
10)	श्री शिशुपाल शौरी, अध्यक्ष अखिल भारतीय गोंडवाना महासभा।
11)	श्रीमती उर्मिला भारती अध्यक्ष भारिया विकास प्राधिकरण तामिया।
12)	श्री नत्थनशाह कवरेती विधायक जुन्नारदेव।
13)	श्री मनमोहन शाह बट्टी पूर्व विधायक अमरवाडा जिला छिन्दवाडा।
14)	श्रीमती कांता ठाकुर अध्यक्ष जिला पंचायत छिन्दवाड़ा
15)	श्री दीपक सक्सेना, पूर्व मंत्री एवं विधायक मध्यप्रदेश शासन।
16)	श्री दिवाकरजी रावते, मंत्री परिवहन विभाग महाराष्ट्र शासन, मुम्बई।
17)	एडव्होकेट श्री उज्ज्वल निकम विशेष सरकारी अधिवक्ता महाराष्ट्र राज्य।
18)	श्रीमंत राजे मुधोजी भौंसले, भौंसले स्टेट नागपुर

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusulya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

19)	श्रीमंत राजे मुधोजी भौंसले, भौंसले स्टेट नागपुर
20)	श्री राजे रघुजी भौंसले, भौसले स्टेट नागपुर
21)	श्री तुलसीदास भोईटे, मुख्य संपादक जय महाराष्ट्र न्यूज चेनल नागपुर।
22)	श्री उत्तम ठाकुर, जनजाति प्रतिनिधि एवं समाज सुधारक।
23)	श्री हुकुमसिंह ठाकुर जनजाति नेता
24)	श्री कमलेश ठाकुर विधायक अमरवाडा
25)	श्री मोरेश्वर मर्सकोले, जनजाति प्रतिनिधि।
26)	श्री विजय कुसरे, जनजाति प्रतिनिधि।
27)	श्रीमती कामनीशाह, जनजाति प्रतिनिधि।
28)	इसके अतिरिक्त सर्व श्री बिसनसिंह, कोमल धुर्वे, कमल मर्सकोले, शिशुपाल, अरविन्द नेताम, सोहन पोटाई, रामजी गोंड, सूरजशाह, वीरेन्द्र शाह, आर्यन धुर्वे, सोरी शाह, सुजानसिंह, गुलजार,
29)	इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में करीब 10000 जनजाति के सम्पूर्ण प्रदेश, भारत से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
30)	राजरत्न पुरूस्कार वितरण समारोह में करीब 1000 व्यक्ति उपस्थित हुए।

5. दौरा के मुख्य बिन्दु

A. छिन्दवाड़ा एवं नागपुर में आम नागरिकों एवं जनजाति प्रतिनिधियों से भेंट।

B. अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा के 13वें अखिल भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में सहभागिता।

C. श्रीमंत रघुजी राजे भौंसले (प्रथम) बहुउद्देशीय स्मृति प्रतिष्ठान एवं महाराजा ऑफ नागपुर ट्रस्ट द्वारा आयोजित राजरत्न पुरूस्कार समारोह में सहभागिता।

दिनाँक 10 फरवरी 2018

1. दिनाँक 10 एवं 12 फरवरी 2018 को छिन्दवाडा जिले के हर्रई में गोंडवाना महासभा द्वारा आयोजित, अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा के 13वें अखिल भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लिया। इस कार्यक्रम में प्रदेश की राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री भी उपस्थित हुए।
2. इस महाअधिवेशन में जनजातियों के लिये संवैधानिक प्रावधानों का कियान्वयन, आरक्षण नीति का कियान्वयन, पाँचवी एवं छटवीं अनुसूचि के कियान्वयन पर चर्चा, सामाजिक समरसता, आदिवासियों के हिन्दु नहीं होने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सम्मेलन में परिचर्चा कर उपस्थित जनजाति समाज के प्रबुद्धजनों से उनके विचारों का आदान प्रदान किया गया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(गोंडवाना महासभा द्वारा आयोजित,अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा के 13वें अखिल भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित जनजाति जनसमूह)

3. साथ ही उपस्थित प्रतिनिधियों ने जनजाति समाज की समस्याओं तथा उनके निराकरण के उपायों पर भी चर्चा की गई और सुधार के उपाए खोजने का प्रयास किया गया।

4. मैंने अपने उदबोधन में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार की कार्य प्रणाली, इसके गठन के उद्देश्य, किये जाने वाले कार्यो के साथ ही साथ भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति वर्ग के संरक्षण और विकास के लिये किये गये प्रावधानों, पाँचवी एवं छटवी अनुसूचि के प्रावधानों, एट्रोसिटी एक्ट, पास्को एक्ट आदि की विस्तार से जानकारी उपस्थित जनजाति समाज को प्रदान की गई, और उनसे यह भी अपील की गई कि यदि इन प्रावधानों में कोई कमी है या वे इसे और व्यावहारिक बनाने के लिये सुझाव देना चाहें तो अवश्य ही दें। इन सुझावों को शिकायत के रूप में न लेकर सुझाव मानते हुए इन पर उपयुक्त मंचों पर चर्चा की जावेगी तथा इनमें सुधार के लिये प्रयास किये जा सकते हैं।

5. अधिवेशन में प्राप्त विचारों एवं सुझाव के आधार पर गोंड समाज महासभा मध्यप्रदेश एवं अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा मध्यप्रदेश द्वारा राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया जिसकी **प्रति संलग्न है।** इस ज्ञापन का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है।

6. विभिन्न वक्ताओं द्वारा जो सुझाव दिये गये वे मुख्यरूप से इस प्रकार से हैं :-

   a) पाँचवी अनुसूची को कड़ाई से वास्तविक रूप में लागू किया जाना चाहिए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

b) विकास परियोजनाओं में जनजाति समाज की भूमि अधिग्रहित की जाती है और मुआवजा कम दिया जा रहा है।

c) कुछ स्थानों पर नक्सलवाद के नाम पर परेशान किया जाता है, जबकि आदिवासी नक्सलवादी नहीं हैं वे स्वभाव से ही शांतिप्रिय व्यक्ति हैं।

d) क्रीमीलेयर की राशि की सीमा बढा दी गई है जिसकी वजह से आदिवासियों का नुकशान होता है उनके अधिकारों का हनन होता है।

e) आदिवासियों के लिये प्राथमिक शिक्षा सहित सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर उन्नत किया जाना चाहिए।

f) पेड़ों का संरक्षण, बच्चों को शिक्षित करने तथा नशा छोड़ने की भी अपील की गई।

g) आदिवासी महिलाओं को दैहिक शौषण से बचाने के और अधिक सार्थक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया गया।

h) वोट का सही उपयोग करने का भी सुझाव प्राप्त हुआ इसके लिये जागरूकता अभियान की आवश्यकता पर बल दिया गया।

i) उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ही आदिवासियों को संरक्षण आरक्षण दिया गया है जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में जनजाति वर्ग के व्यक्ति निवास करते हैं। सभी को समान रूप से संरक्षण और आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इस ओर सरकार को प्रयास करने की आवश्यकता है।

j) सभी धर्मो का सम्मान किया जाना चाहिए किन्तु पालन अपने अपने धर्म का किये जाने की आवश्यकता है।

k) गोंडी भाषा जो कि लुप्त हो रही है उसे आठवी अनुसूचि में शामिल किया जाना चाहिए।

l) गोंडी भाषा का शब्दकोष तैयार कर भाषा को संरक्षित किये जाने की आवश्यकता है तथा गोंड़ी भाषा को राजभाषा घोषित की जावे।

(गोंडवाना महासभा द्वारा आयोजित,अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा के 13वें अखिल भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेते हुए सुश्री अनुसुईया उइके उपाध्यक्ष,रा.अ.ज.जा.आ. एवं आयोजक तथा अन्य अतिथि)

दिनाँक 14 फरवरी 2018

7. नागपुर महाराष्ट्र में शिक्षक सहकारी बैंक सभागृह शुक्रवारी तालाब के पास महल

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusulya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

नागपुर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्रीमंत राजे रघुजी महाराज भोंसले (प्रथम) बहुउद्देशीय स्मृति प्रतिष्ठान एवं महाराजा ऑफ नागपुर ट्रस्ट की ओर से राजरत्न पुरूस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे समाजसेवा, कला, शिक्षा, खेल, पत्रकारिता, चित्रकला, गायन, वादन आदिवासी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किया जाता है।

8. इस कार्यक्रम में चयनित प्रमुख व्यक्तियों को पुरूस्कार वितरण किया गया। साथ ही उपस्थित आमंत्रित मेहमानों द्वारा समाज के संबंध में अपने अपने विचार व्यक्त किये गये। मेरे द्वारा अपने संक्षिप्त उद्बोधन में आयोग के कार्य, कार्यप्रणाली के संबंध में तथा उपस्थित आगंतुकों को समाज में उत्कृष्ट कार्य करने तथा शिक्षित जागरूक होने का आहवान किया गया।

राजरत्न पुरूस्कार वितरण समारोह का शुभारंभ करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.श्री उज्जवल निकम अधिवक्ता एवं अन्य अतिथि)

राजरत्न पुरूस्कार वितरण समारोह का शुभारंभ करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.
श्री उज्जवल निकम अधिवक्ता, परिवहन मंत्री महाराष्ट्र पुरूस्कार प्राप्तकर्ता एवं अन्य अतिथि)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

9. दिनाँक 15 फरवरी 2018 छिन्दवाडा से नागपुर एवं दिल्ली प्रस्थान प्रवास सम्पन्न।

6-	अनुवर्ती कार्यवाही किया गया एवं किसके द्वारा :	• गोंड समाज महासभा मध्यप्रदेश एवं अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा मध्यप्रदेश द्वारा राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को प्रस्तुत ज्ञापन की प्रति इस प्रतिवेदन में संलग्न है, का परीक्षण करवाकर उपयुक्त कार्यवाही करने की अनुशंसा की जाती है। • प्रतिवेदन के बिन्दु कमांक 6 में वर्णित **A to L** उल्लेखित तथ्यों का भी परीक्षण करवाकर यथोचित कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है।

(सुश्री अनुसुईया उइके)
उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार, नई दिल्ली
(दौरा करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा मध्यप्रदेश
AKHIL BHARTIYA GONDWANA GOND MAHASABHA MADHYA PRADESH

शिशुपाल शौरी
राष्ट्रीय अध्यक्ष (पूर्व आई.ए.एस.)

डा. प्रभाकर सिंह उइके
प्रदेश महासचिव

पता: म.नं. 7/9, मैनिट केम्पस, भोपाल, म.प्र. संपर्क : 9424455375, 9425415867, 9329004468, 9009521750
पत्राचार : एफ-91/33, तुलसी नगर, भोपाल, मो.: 9630945711, ईमेल : tpsuikey@gmail.com

क्रमांक : 2018/750

दिनांक : 12/02/18

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी
मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल।

अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा के द्वारा आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन अवसर पर आतिथि के रूप में उपस्थित होने पर आपका हार्दिक स्वागत और आभार प्रकट करते है ।

माननीय महोदय जी,

महासभा अधिवेशन दिनांक 10 11 12 के तीन दिवसो में म0प्र0 सहित देश के विभिन्न राज्यों के गोंड समुदाय की उपस्थिति में लगातार विचार विमर्श के उपरात निम्मन मुख्य विन्दुओं को सर्व सम्मति से रेखांकित किया गया है ।प्रमुख बिन्दू निम्नलिखित हैं

1. म0प्र0 की राजधानी भोपाल में गोंड समुदाय के लिये पांच एकड भूमि आबटित की जाये ।
2. जनजातियों की रूढिजन्य विधि सहिता 1992 आदयतन 2012 जोकि विधि विधायी विभाग म0प्र0 में बनकर तैयार है को सवैधानिक मान्यता प्रदान करायाा जावे ।
3. देश के विभिन्न राज्यो मे वहा की स्थानीय भाषा को द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में स्थापित किया गया है । इसी तरह गोंडी भाषा को म0प्र0 मे द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी जाये तथा
संविधान की आठवीं अनुसूचि में शामिल किये जाने हेतु विधान सभा में संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को अनुशंसा प्रेषित की जाये ।

4 संविधान की पांचवी अनुसूचि को प्रभावी बनाने के लिये राज्य के स्थानीय नियम बनाया जायें ।

5. म0प्र0 के यूनिवर्सिसिटियों मे आरक्षण अनुपात के अनुशार कुलपति बनाये जायें

6 अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात में प्रदेश सरकार के मंत्रीमंडल में प्रतिनिधित्व दिया जाये ।

हमें आशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी गोंड समुदाय के साथ सहानुभति रखते हुए श्रेय और प्रेय का भागीदार बनेंगे ।

7. छिन्दवाड़ा मे स्वीकृत मेडिकल कालेज का नाम स्व. राजा उदयभान शाह जी हाई के नाम कराया जाय।

भवदीय

शिशुपाल शौरी
रा0 अध्यक्ष

गुलजार सिंह (मरकाम)

कमल मर्सकोले (राष्ट्रीय महासचिव)

(डा. एन. धुर्व)

(फग्गन सिंह कुलस्ते) सासंद

(मनमोहन शाह वट्टी) पूर्व विधायक

(बी. एस. परतेती) प्रदेश अध्यक्ष गोंड समाज महासभा

Atram Anandrao Telangana

(डा. प्रभाकर सिंह उइके) प्रदेश महासचिव

पंजीयन क्रमांक–04/18/04/11504/10

गोंड समाज महासभा मध्यप्रदेश

प्रधान कार्यालय – बी.एस.परतेती निवास, सिन्दादेही तह. केवलारी, जिला–सिवनी
M-9424364251

अध्यक्ष
बिसन सिंह परतेती
सिवनी

उपाध्यक्ष
कमल मर्सकोले
विधायक, बरघाट

सचिव
सीताराम गोंड
मंडला

सह–सचिव
कौशल सिंह पोर्ते
दमोह

कोषाध्यक्ष
इंजी. केहर सिंह इनवाती
नरसिंहपुर

कार्यकारणी सदस्य
डॉ. के. एल. धुर्वे
जबलपुर
मूल चन्द धुर्वे
सिवनी

क्रमांक: 750 दिनांक : 12-02-2018

// ज्ञापन//

प्रति,

श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी,
मध्य प्रदेश शासन भोपाल,

विषय:– <u>मध्य प्रदेश में निवासरत अनुसूचित जनजाति समुदाय विभिन्न माँग मुविध समस्याओं के निराकरण के सम्बंध में ।</u>

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अखिल भारतीय गौडवाना गौड महासभा का तेरहवां राष्ट्रिय अधिवेशन हर्रई जिला छिन्दवाडा में 10, 11, 12 फरवरी को आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित समाज के जनप्रतिनिधि एंव जन समुदाय की उपस्थिती में सर्व सम्मति से निम्नलिखीत माँग समस्याओं का ज्ञापन शासन प्रशासन स्तर पर निराकरण हेतू सादर प्रेषित है । कृपया निराकरण हेतू समुचित कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से महासभा को भी अवगत कराने का कष्ट करेंगें।

माँग/समस्यायें

1– मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में निवासरत गौंड समाज के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिणक एंव सांस्कृति आदि कार्यों हेतू जिला मुख्यालय पर गौंडवाना भवन का निर्माण किया जावे;

2– गौंडी भाषा को आठवी अनुसूची में शामिल करने समुचित कार्यवाही की जावे ।

3– गौंडी धर्म को पृथक कोड दिलाने हेतू – आवश्यक कार्यवाही की जावे । ।संदर्भ।– छ0ग0शासन मंत्रालय सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक –प्र0/सा0/प्र0. 11/104जी/–2006रायपुर22/03/2006 । ।

4– मध्य प्रदेश राज्य में पांचवी अनुसूची के – कानून के उचित क्रियावन के लिये नियम बनाया जावे ।

5– मध्य प्रदेश राज्य जनजाति मंत्रणा परिषद का अध्यक्ष पद जनजाति के लिये सुरक्षित किया जावे ।

6– म0प्र0 के समस्त 89 घोषित आदिवासी–विकासखंडों तथा घोषित आदिवासी जिलो में खण्ड विकास – अधिकारी और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास केवल

Scanned by CamScanner

पंजीयन क्रमांक–04/18/04/11504/10

गोंड समाज महासभा मध्यप्रदेश

प्रधान कार्यालय – बी.एस.परतेती निवास, सिन्दादेही तह. केवलारी, जिला–सिवनी
M-9424364251

अध्यक्ष
बिसन सिंह परतेती
सिवनी

उपाध्यक्ष
कमल मर्सकोले
विधायक, बरघाट

सचिव
सीताराम गोंड
मंडला

सह–सचिव
कौशल सिंह पोर्ते
दमोह

कोषाध्यक्ष
इंजी. केहर सिंह इनवाती
नरसिंहपुर

कार्यकारिणी सदस्य
डॉ. के. एल. धुर्वे
जबलपुर
मूल चन्द धुर्वे
सिवनी

क्रमांक: 750 दिनांक : 12-02-2018

14– मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत गौंडवाना कालीन इतिहासिक गढ़, किलों, धार्मिक स्थलों को जोडा जावे तथा जनजाति समुदायिकों के लोग को दर्शन कराया जावे ।

15– प्रदेश के जबलपुर में स्थित स्वतंत्रा संग्राम में शहिद हुये गौंडराजा शंकरशाह व पुत्र रघुनाथशाह जी के बंदीगृह जो वर्तमान वन विभाग का कार्यालय है इस कार्यालय को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जावे तथा शहिद स्थल पर – विशाल शहीद स्थम्भ बनाया जावे ।

16– प्रदेश में ग्राम के अन्दर 1975 के पहले चराई की भूमि को जहां पर झाड स्थित है उसे वन विभाग द्वारा जबरन कब्जा कर रहा है । ऐसी भूमि पर आदिवासी लोग कोदो कुटकी एंव अन्य फसल बोकर जीवन यापन कर रहे थे, उसी भूमि पर आदिवासियों को वापस कर पट्टा दिया जावे ।

17– मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के विकासखण्ड केवलारी अंतर्गत ग्राम–अहरवाडा में निवासरत गौंड समुदाय के लोग पूर्वजों से शवदफन हेतू उपयोग की जा रही शमशान की भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे ।

18– श्री सुरेन्द्रसिंह धुर्वे पिता स्व0 जीवनसिंह जाति गौंड ग्राम – भठवा (बरौंदा) – तह0 मझगवां जिला सतना निवासी को प्राप्त पट्टे की भूमि पर गैर आदिवासी रामरूप पिता रामप्रसाद यादव ग्राम अर्जुनपुर निवासी द्वारा की अवैध कब्जा हटाकर पट्टाधारी को कब्जा दिलाया जावे ।

19– मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतरता एंव मॉनीटरिंग समिति के नामांकित अशासकीय सदस्यों को द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारीयों समान यात्रा भत्ता एंव दैनिक भत्ता देने का प्रावधान है । नही दिया जा रहा है, दिया जावे । (संदर्भ)– मंत्रालय की आदेश क्रमांक डी–2331–2615–95–25–भोपाल दिनांक–29/02/1996 का अवलोकन करें ।

बी0एस0 परतेती
प्रदेशअध्यक्ष

Scanned by CamScanner

गोंड समाज महासभा मध्यप्रदेश

प्रधान कार्यालय – बी.एस.परतेती निवास, सिन्दादेही तह. केवलारी, जिला–सिवनी
M-9424364251

अध्यक्ष
बिसन सिंह परतेती
सिवनी

उपाध्यक्ष
कमल मर्सकोले
विधायक, बरघाट

सचिव
सीताराम गोंड
मंडला

सह–सचिव
कौशल सिंह पोर्ते
दमोह

कोषाध्यक्ष
इंजी. केहर सिंह इनवाती
नरसिंहपुर

कार्यकारणी सदस्य
डॉ. के. एल. धुर्वे
जबलपुर
मूल चन्द धुर्वे
सिवनी

क्रमांक: 750 दिनांक : 12-03-2018

//2//

जनजाति वर्ग से हो ।

7– पाँचवी अनुसूची के अंर्तगत आने वाले समस्त विकासखंडों और जिला में नगर निगम, नगरपालिका तथा नगर–पंचायतों की व्यवस्थाओं को समाप्त किया जाकर आदिवासी – स्वायत्त परिषदों का गठन किया जावे ।

8– आदिवासीयों की परंपरागत रूढी पंचायत व्यवस्था की समितियों के मुखियाओं को जिला और विकासखण्डों की प्रत्येक प्रशासनिक इकाई में भागीदारी सुनिश्चित किया जावे ।

9– वन अधिकार कानून के तहत आदिवासीयों को मिले अब तक के लाभ और हानी कि समिक्षा के लिये आदिवासीयों संगठनों के प्रमुखों को लेकर एक उच्च स्तरीय जाँच कमेटी बनाई जावे ।

10– म0 प्र0 शासन के विभिन्न विभागों में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वाले गैर अनु0 जनजाति के कर्मचारी अधिकारीयों के विरूद्ध शिकायत पत्र की – व उच्चस्तरीय छानबीन समिति भोपाल दवारा की जा रही जाँच एंव जाँच उपरांत की गई कार्यवाहीयों की समिक्षा की जावे ।

11– म0प्र0 में स्थित गौडवाना कालीन पुरातत्वीय स्थलों में आधा किलो मीटर के दायरे पर स्थित अतिक्रमण, खेती, मकान, वनविभाग आदि दवारा कब्जा किये हुये भूमि को पुरातत्व विभाग में लेकर संरक्षित किया जावे । तथा पुरातत्व विभाग दवा दवारा रखरखाव के नाम पर दिये जा रहे खर्चों की समीक्षा एंव – उच्चस्तरीय जाँच कि जावे ।

12– गौंडवाना साम्राज्य के अमर शहिदों जैसे महराजा शंकरशाह व कुंवर रघुनाथशाह, महारानी दुर्गावती, बिरसामुंडा, वीर नारायर्ण सोनाखान, बाबूराव सेडमें के आदि महापुरूषों के जीवन परिचय को पाठ्य पुस्तकों में जोडा जावे तथा उनके जंयती व बलिदान दिवस के साथ ही साथ 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर शासकीय अवकाश घोषित किया जावे ।

13– प्रदेश के आदिवासीयों की भूमि पर सामान्य वर्ग दवारा पक्का मकान, भवन, स्टोन क्रेसर इत्यआदि स्थापीत कर कब्जा किये है । उस भूमि को मूल रूप से कृषि प्रयोजन कर परिवर्तित किया जावे ।

//2//

आधकारी और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास केवल

Scanned by CamScanner

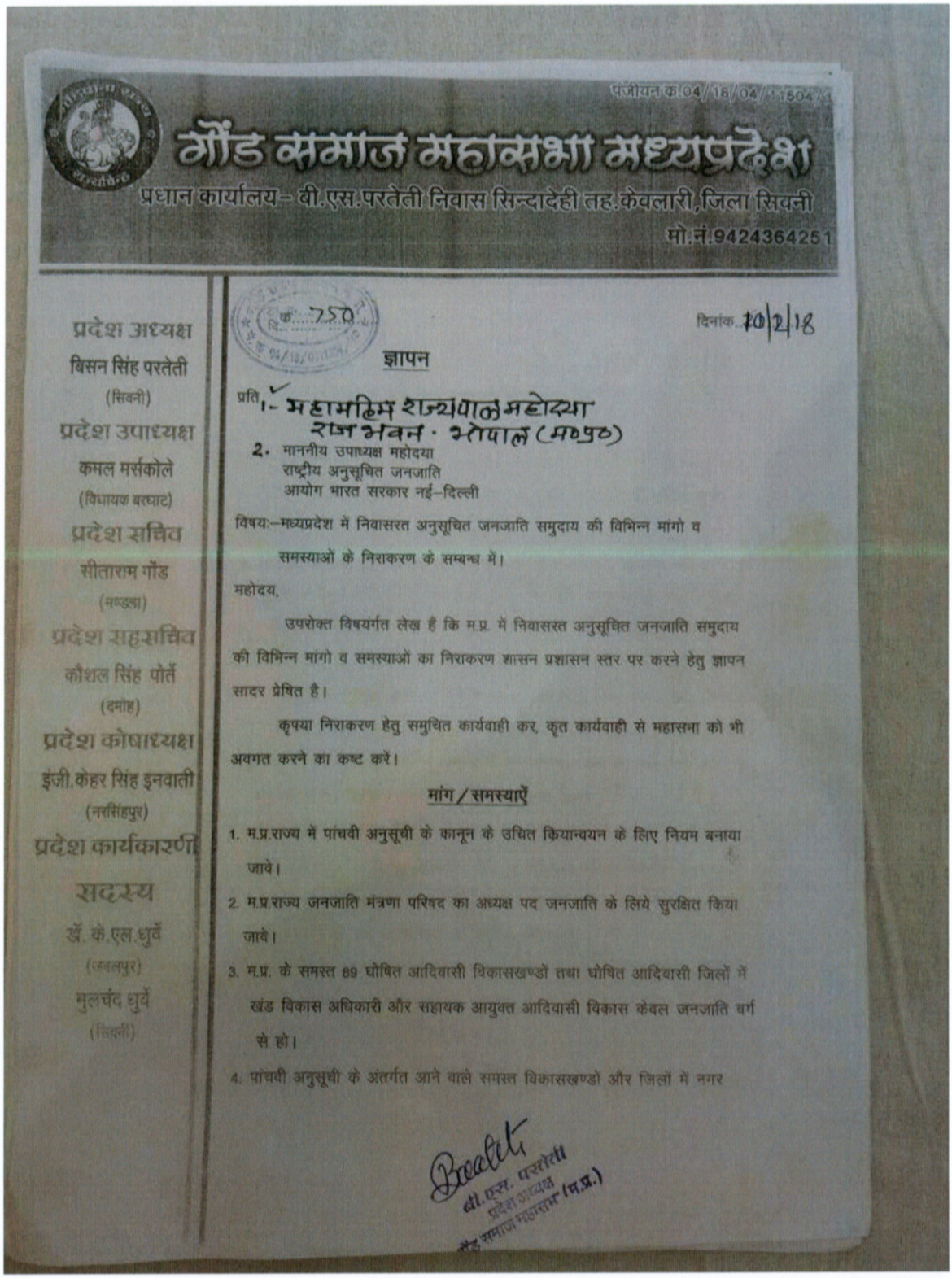

पंजीयन क.04/18/04/11504/1

गौंड समाज महासभा मध्यप्रदेश

प्रधान कार्यालय- बी.एस.परतेती निवास सिन्दादेही तह.केवलारी,जिला सिवनी

मो.नं.9424364251

प्रदेश अध्यक्ष
बिसन सिंह परतेती
(सिवनी)

प्रदेश उपाध्यक्ष
कमल मर्सकोले
(विधायक बरघाट)

प्रदेश सचिव
सीताराम गौंड
(मण्डला)

प्रदेश सहसचिव
कौशल सिंह पोर्ते
(दमोह)

प्रदेश कोषाध्यक्ष
इंजी.केहर सिंह इनवाती
(नरसिंहपुर)

प्रदेश कार्यकारणी

सदस्य
डॉ. के.एल.धुर्वे
(जबलपुर)
मुलचंद धुर्वे
(सिवनी)

क. 750

दिनांक 10/2/18

ज्ञापन

प्रति,
1- महामहिम राज्यपाल महोदया
राजभवन· भोपाल (म०प्र०)

2. माननीय उपाध्यक्ष महोदया
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति
आयोग भारत सरकार नई–दिल्ली

विषयः–मध्यप्रदेश में निवासरत अनुसूचित जनजाति समुदाय की विभिन्न मांगो व समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयंर्गत लेख है कि म.प्र. में निवासरत अनुसूचित जनजाति समुदाय की विभिन्न मांगो व समस्याओं का निराकरण शासन प्रशासन स्तर पर करने हेतु ज्ञापन सादर प्रेषित है।

कृपया निराकरण हेतु समुचित कार्यवाही कर, कृत कार्यवाही से महासभा को भी अवगत करने का कष्ट करें।

मांग / समस्याऐं

1. म.प्र.राज्य में पांचवी अनुसूची के कानून के उचित कियान्वयन के लिए नियम बनाया जावे।
2. म.प्र.राज्य जनजाति मंत्रणा परिषद का अध्यक्ष पद जनजाति के लिये सुरक्षित किया जावे।
3. म.प्र. के समस्त 89 घोषित आदिवासी विकासखण्डो तथा घोषित आदिवासी जिलों में खंड विकास अधिकारी और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास केवल जनजाति वर्ग से हो।
4. पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले समस्त विकासखण्डों और जिलों में नगर

(हस्ताक्षर)
बी.एस. परतेती
प्रदेश अध्यक्ष
गौंड समाज महासभा (म.प्र.)

पंजीयन क्र.04/18/04/11504/1

गौंड समाज महासभा मध्यप्रदेश

प्रधान कार्यालय– बी.एस.परतेती निवास सिन्दादेही तह.केवलारी,जिला सिवनी

मो.नं.9424364251

प्रदेश अध्यक्ष
बिसन सिंह परतेती
(सिवनी)

प्रदेश उपाध्यक्ष
कमल मर्सकोले
(विधायक बरघाट)

प्रदेश सचिव
सीताराम गौंड
(मण्डला)

प्रदेश सहसचिव
कौशल सिंह पोर्ते
(दमोह)

प्रदेश कोषाध्यक्ष
इंजी.केहर सिंह इनवाती
(नरसिंहपुर)

प्रदेश कार्यकारणी सदस्य
डॅा. के.एल.धुर्वे
(जबलपुर)
मुलचंद धुर्वे
(सिवनी)

क्र. 750 दिनांक 21/1/18

निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायतों की व्यवस्था को समाप्त किया जाकर आदिवासी स्वायत्त परिषदों का गठन किया जाये।

5. आदिवासियों की परम्परागत रूढ़ी पंचायत व्यवस्था की कमेटियों के मुखियाओं को जिला और विकासखंडो की प्रत्येक प्रशासनिक इकाई में भागीदारी सुनिश्चित किया जावें।

6. वन अधिकार कानून के तहत आदिवासियों को मिले अब तक के लाभ और हानि की समीक्षा के लिये आदिवासियों को लेकर एक उच्चस्तरीय जांच कमेटी बनायी जावे।

7. म.प्र. शासन के मुख्य सचिव बी.पी.सिंह द्वारा शहडोल संभाग प्रवास के दौरान आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचे जाने संबंधी नीति बनाने व पूर्व में बने नियमों में बदलाव करने के दिये बयान को संज्ञान में लिया जाये, तथा तत्संबंध में कथाकथित आदिवासियों के द्वारा इन्दौर हाईकोर्ट मे दी गई याचिकाकर्ता के पीछे किन – किन लोगो का हाथ हैं इसकी भी उच्चस्तरीय जांच की जावे तथा ऐसी कोई भी नीति/नियम बनाये जाने पर रोक लगायी जावे।

8.म.प्र. शासन के विभिन्न विभागों में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वाले गैर अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी अधिकारीयों के विरूद्ध शिकायत पत्र की उच्चस्तरीय छानबीन समिति भोपाल द्वारा की जा रही जांच एवं जांच उपरांत की गई कार्यवाहियों की समीक्षा की जावे।

9.म.प्र. में स्थित गोंडवाना कालीन पुरातत्वीय स्थलों में आधा किलोमीटर के दायरे पर स्थित अतिक्रमण–खेती, मकान, वन विभाग द्वारा आदि से कब्जा किये हुए भूमि को पुरातत्व विभाग में लेकर संरक्षित किया जावे तथा पुरातत्व विभाग द्वारा रख रखाव के नाम पर किये जा रहे खर्चो की समीक्षा एवं उच्चस्तरीय जांच की जावे।

Bsetet
बी.एस. परतेती
प्रदेश अध्यक्ष
गौंड समाज महासभा (म.प्र.)

पंजीयन क्र.04/18/04/11504/1

गौंड समाज महासभा मध्यप्रदेश

प्रधान कार्यालय– वी.एस.परतेती निवास सिन्दादेही तह.केवलारी,जिला सिवनी

मो.नं.9424364251

प्रदेश अध्यक्ष
बिसन सिंह परतेती
(सिवनी)
प्रदेश उपाध्यक्ष
कमल मर्सकोले
(विधायक बरघाट)
प्रदेश सचिव
सीताराम गोंड
(मण्डला)
प्रदेश सहसचिव
कौशल सिंह पोर्ते
(दमोह)
प्रदेश कोषाध्यक्ष
इंजी.केहर सिंह इनवाती
(नरसिंहपुर)
प्रदेश कार्यकारणी
सदस्य
डॅा. के.एल.धुर्वे
(जबलपुर)
मुलचंद धुर्वे
(सिवनी)

दिनांक.............

10. गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीदों जैसे– महाराजा शंकर शाह व कुवर रघुनाथ शाह, महारानी दुर्गावती, बिरसामुण्डा, वीर नारायण सोनाखान, बाबूराव सेडमाके आदि महापुरूषों के जीवन परिचय को पाठ्य पुस्तकों में जोडा जावे तथा उनके बलिदान दिसव जयंती के साथ ही 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर शासकीय अवकाश घोषित किया जावे।
11. प्रदेश के आदिवासियों की भूमि पर सामान्य वर्ग द्वारा पक्का मकान, भवन, स्टोन केशर, इत्यादि स्थापित कर कब्जा किये हैं उस भूमि को मूल रूप से कृषि प्रयोजन कर परिवर्तित किया जावे।
12. श्री सुखेन्द्र सिंह पिता स्व.जीवन सिंह जाति गोंड ग्राम भठवा (बरोधा) तह. मझगंवा जिल सतना निवासी को प्राप्त पट्टे की भूमि पर गैर आदिवासी रामरूप पिता रामप्रसाद यादव ग्राम अर्जुनपुर निवासी द्वारा किये अवैध कब्जा को हटाकर पट्टाधारी को कब्जा दिलाया जावे।
13. म.प्र. शासन के मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत गोंडवाना कालीन ऐतिहासिक गढ, किलो, धार्मिक स्थलों को जोड़ा जावे तथा जनजाति समुदाय के लोगों के दर्शन कराया जावें।
14. म.प्र. के जबलपुर में स्थित स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुये गोंड राजा शंकरशाह कुवंर, रघुनाथ शाह जी के बंदीग्रह जो वर्तमान में वन विभाग का कार्यालय है। इस कार्यालय को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जावे तथा शहीद स्थल पर विशाल कांति स्तंभ बनाया जावे।
15. प्रदेश में ग्राम के अंदर 1975 के पहले चराई की भूमि को जहां पर झाड स्थित है उसे वन विभाग द्वारा जबरन कब्जा कर रहा है ऐसी भूमि आदिवासी लोग कोदो, कुट्की एवं अन्य फसल बोकर जीवन यापन कर रहे थे उसी मूल्य पर आदिवासियों को वापिस कर पट्टा दिया जावे।

वी.एस. परतेती
प्रदेश अध्यक्ष
गोंड समाज महासभा (म.प्र.)

पंजीयन क्र.04/18/04/11504/1

गोंड समाज महासभा मध्यप्रदेश

प्रधान कार्यालय- वी.एस.परतेती निवास सिन्दादेही तह.केवलारी,जिला सिवनी
मो.नं.9424364251

प्रदेश अध्यक्ष
विसन सिंह परतेती
(सिवनी)

प्रदेश उपाध्यक्ष
कमल मर्सकोले
(विधायक बरघाट)

प्रदेश सचिव
सीताराम गोंड
(मण्डला)

प्रदेश सहसचिव
कौशल सिंह पोर्ते
(दमोह)

प्रदेश कोषाध्यक्ष
इंजी.केहर सिंह इनवाती
(नरसिंहपुर)

प्रदेश कार्यकारणी सदस्य
डॉ. के.एल.धुर्वे
(जबलपुर)
मुलचंद धुर्वे
(सिवनी)

क्र. 738

दिनांक 21/1/18

16. म.प्र. के सिवनी जिले में निवासरत गोंड समाज के सामाजिक आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यो हेतु जिला मुख्यालय सिवनी, ब्लाक मुख्यालय केवलारी एवं ग्राम सरंडी(उगली) में मंगल भवनो का निर्माण किया जावे।

17. म.प्र. के सिवनी जिले के विकासखंड केवलारी अंतर्गत ग्राम अहरवाडा में निवासरत गोंड समुदाय के लोग पूर्वजों से शव दफन हेतु उपयोग की जा रही शमशान (मरघट) की भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

17(A). गोंडी भाषा को 8वी अनुसूची में शामिल किया जावे।

17(B). गोंडी धर्म को प्रथम धर्मकोड प्रदान किया जावे। (संदर्भ – छ.ग. शासन मंत्रालय सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रं. प्र./सा.प्र.11/104जी/2006 रायपुर 22/3/2006)

17(C). म.प्र. के गोंड जनजाति समुदाय में परम्परागत देवस्थलों को राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के संबंध में (म.प्र. शासन राजस्व विभाग का आदेश क्रं. 274/840/2011/सात–6/भोपाल दिनांक 24.08.2011 का पालन नही किया जा रहा है। पालन कराया जावे तथा देवस्थलों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

17(D). म.प्र. में महात्मागांधी रोजगार गारंटी योजना से अनुसूचित जनजाति वर्ग को कपिलधारा कूप निर्माण योजना में एक हेक्टेयर भूमि का बंधन हटाया जाकर, एक हेक्टेयर से अधिक भूमि वालों को भी इस योजना का लाभ दिलाया जावें।

17(E). म.प्र. में 1.00 लाख से 2.00 करोड़ के ऋण स्वरोजगार प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार बैंकों में गारंटी शासन लेगी परन्तु ऐसा नही हो रहा हैं, उस पर शक्ति से अमल किया जावे एवं स्वरोजगार योजना अन्तर्गत शासन से जो भी ऋण प्रदान किया जाता है, बैंकों मे गारंटी के रूप में मुख्यमंत्री जी की घोषणा का अमल किया जावे।

(हस्ताक्षर)
वी.एस. परतेती
प्रदेश अध्यक्ष
गोंड समाज महासभा (म.प्र.)

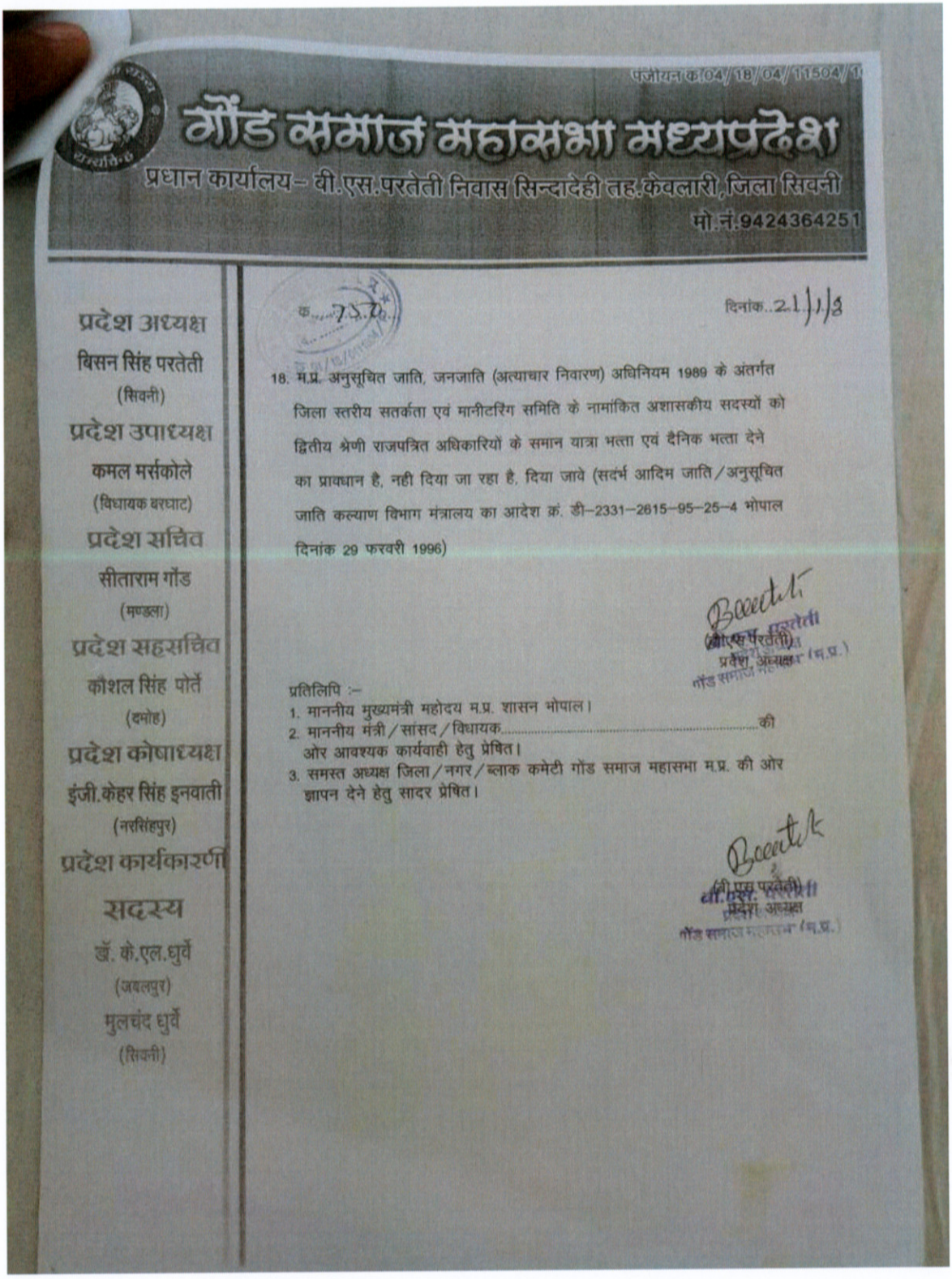

पंजीयन क.04/18/04/11504/1

गोंड समाज महासभा मध्यप्रदेश

प्रधान कार्यालय- वी.एस.परतेती निवास सिन्दादेही तह.केवलारी, जिला सिवनी

मो.नं.9424364251

प्रदेश अध्यक्ष
बिसन सिंह परतेती
(सिवनी)

प्रदेश उपाध्यक्ष
कमल मर्सकोले
(विधायक बरघाट)

प्रदेश सचिव
सीताराम गोंड
(मण्डला)

प्रदेश सहसचिव
कौशल सिंह पोर्ते
(दमोह)

प्रदेश कोषाध्यक्ष
इंजी.केहर सिंह इनवाती
(नरसिंहपुर)

प्रदेश कार्यकारणी सदस्य
डॅा. के.एल.धुर्वे
(जबलपुर)
मुलचंद धुर्वे
(सिवनी)

क्र. 757

दिनांक 21/1/18

18. म.प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति के नामांकित अशासकीय सदस्यों को द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों के समान यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देने का प्रावधान है, नही दिया जा रहा है, दिया जावे (सदर्भ आदिम जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय का आदेश क्रं. डी–2331–2615–95–25–4 भोपाल दिनांक 29 फरवरी 1996)

(बी.एस.परतेती)
प्रदेश अध्यक्ष
गोंड समाज महासभा (म.प्र.)

प्रतिलिपि :–

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय म.प्र. शासन भोपाल।
2. माननीय मंत्री/सांसद/विधायक...की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त अध्यक्ष जिला/नगर/ब्लाक कमेटी गोंड समाज महासभा म.प्र. की ओर ज्ञापन देने हेतु सादर प्रेषित।

(बी.एस.परतेती)
प्रदेश अध्यक्ष
गोंड समाज महासभा (म.प्र.)